पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (IV) योजना–08 / 2019–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/ पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत नवस्थापित 3 (तीन) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ष 2019–20 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थान के वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू॰ 30,00,000=00 (तीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में संबंधित मेंटर संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विभागान्तर्गत नवस्थापित 3 (तीन) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ष 2019–20 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थान के वर्गकक्ष, प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर एवं सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू॰ 30,00,000=00 (तीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में संबंधित मेंटर संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्रम	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	राजकीय पोलिटेकनिक, औरंगाबाद	10,00,000=00
2	राजकीय पोलिटेकनिक, खगड़िया	10,00,000=00
3	राजकीय पोलिटेकनिक, भोजपुर	10,00,000=00
	कुल	**30,00,000=00**

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104 –बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय' के अधीन 52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021040102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित मेंटर संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, मढ़ौरा, कटिहार एवं गुलजारबाग (पटना) से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा तथा क्रय की गई मशीनरी / कम्प्यूटर / सामग्रियों की प्रविष्टि संस्थान के भंडार पंजी में करना प्राचार्य सुनिश्चित करेगें एवं प्राचार्य इसे सत्यपित करेंगें।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय की जाने वाली उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना–08 / 2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना–08 / 2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, मढ़ौरा, कटिहार एवं गुलजारबाग (पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना–08 / 2019– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा / कटिहार / पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना–08 / 2019– 727 /पटना, दिनांक– 25-2-2019

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / उप निदेशक (यो) / बजट सहायक / आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव